न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 119/2025 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2025/155

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. तोलसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कानासर तहसील बीकानेर।
2. उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर।

– रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः राजकीय अभिभाषक श्री राजेश बैद — अभिभाषक अपीलांट; अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांक 04.03.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 07.01.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि खसरा नंबर 876/332 तादादी 29 बीघा 18 बिस्वा टीसी से पुख्ता आवंटी बारानी कृषि भूमि दिनांक 07.01.2025 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के द्वारा निर्णय पारित कर उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत–1 का नामांतकरण संख्या 575 दिनांक 15.06.2007 खारिज कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खातेदार घोषित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के उक्त आदेश दिनांक 07.01.2025 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नियम व विधि विरूद्ध पूर्व की प्रविष्टि अर्थात् खातेदार घोषित किया गया है। निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण आरंभ से अपीलाधीन निर्णय प्रभावहीन व शून्य होने के कारण खारिज योग्य है। अपील में वर्णित भूमि ग्राव कानासर नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(3)न.वि.वि./3/72 पार्ट –2 दिनांक 27 फरवरी 2006 को बीकानेर नगरीय क्षेत्र की पैराफेरी सीमा में अधिसूचना किया जा चुका है एवं आदिनांक को पैराफेरी क्षेत्र में शामिल हैं। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.9(15)रेवे6/2005–पार्ट/43 दिनांक 29.08.2007 के अनुसार नगरीय क्षेत्र की भूमियों को खातेदारी देने से पूर्व प्रचलित डीएलसी दरों का

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

20 प्रतिशत राशि के संदाय पर खातेदारी अधिकार देने के विपरित अपील निर्णय से खातेदारी दिया जाना नियम विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जो कि उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 11.08.1989 की पालना में इंतकाल संख्या 127 दिनांक 27.06.1992 को राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज की गई। तत्पश्चात ग्राम कानासर कोलोनाईजेशन क्षेत्र में शामिल होने पर उपनिवेशन अधिनियम एवं आर.टी. एक्ट की धारा 15 के तहत उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत द्वारा नियमानुसार इंतकाल संख्या 575 दिनांक 15.06.2007 रेस्पोडेन्ट को टीसी आवंटी दर्ज किया गया था, राजस्व विभाग के खातेदारों व गैर खातेदार काश्तकारों को उपनिवेशन क्षेत्र में शामिल होने पर टीसी आवंटी दर्ज किया जाना विधिसम्मत है। तत्पश्चात सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत द्वारा उक्त भूमि को मि.न. 695/07 निर्णय दिनांक 13.08.2007 आवंटन आदेश क्रमांक 752–55 दिनांक 14.02.2008 द्वारा ग्राम कानासर को खसरा सं. 332 में तादादी 30 बीघा टीसी से पुख्ता आवंटन की गई। जिसके मुताबिक टीसी से पुख्ता आवंटन का नामांतरकरण संख्या 770 दिनांक 14.02.2008 को आवंटी के नाम दर्ज हो चुका है। इस प्रकार नामांतरकरण संख्या 575/15.06.2007 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा अपील प्रस्तुति के दिन प्रभावशील नहीं होने के बावजूद भी अप्रभावशील प्रविष्ठि को खारिज कर पूर्व की स्थिति बहाली का निर्णय विधिविरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 4(4)उप/91दिनांक 24.10.2007 अनुसार पुख्ता आवंटित भूमि की आरक्षित दर की 4 गुणा राशि जमा करवाई जानी आवश्यक थी। जो कि जमा के अभाव में नियम विरूद्ध निर्णय खारिज योग्य है। जिला कलक्टर महोदय के पूर्व अनुमोदन के बिना क्षेत्राधिकारिता का उल्लंघन कर उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के द्वारा तत्कालीन उपनिवेशन क्षेत्र में तहसीलदार उपनिवेशन कोलायत नं. 1 द्वारा स्वीकृत आदेश इंतकाल संख्या 575 दिनांक 15.06.2007 द्वारा की गई टीसी आवंटन की विधिसम्मत प्रविष्ट के आधार पर पुख्ता आवंटन होने के बावजूद पूर्व की प्रविष्टि नामांतरकरण संख्या 575 को निरस्त किया जाकर पूर्व की स्थिति अर्थात रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है जिससे राजकोष को भारी क्षति हुई है। उक्त प्रकरण नायब तहसीलदार को जांच एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया। अपीलाधीन निर्णय की पालना में पटवारी हल्का को तहसीलदार बीकानेर के द्वारा निर्णय की पालना में नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश नही दिये जाने के बावजूद भी नायब तहसीलदार पटवारी हल्का कानासर ने एकतरफा तौर पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में अपील/नो अपील को निर्णय लिए बिना राजस्व रिकॉर्ड

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

में नामांतरकरण संख्या 1972 दिनांक 24.02.2025 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में पुख्ता आवंटी के स्थान पर खातेदार दर्ज किया गया है।

ग्राम कानासर के उपनिवेशन क्षेत्र घोषित हो जाने के पश्चात उपनिवेशन अधिनियम एवं इसके तहत बने नियम उपनिवेशन प्रभावशील हो जाने पर राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत उपनिवेशन क्षेत्रों में खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होने के आधार पर 1955 के पश्चात के ऐसे समस्त खातेदार व गैर खातेदारों को अस्थाई पट्टा धारक माना जाकर उपनिवेशन विभाग द्वारा नामांतरकरण संख्या 575 दिनांक 15.06.2007 से ग्राम कानासर के बतौर अस्थाई पट्टा धारक रेस्पोडेन्ट के नमा से प्रविष्टी की गई जो कि नियमानुसार होने के आधार पर उपनिवेशन विभाग द्वारा टीसी से पुख्ता आवंटन निर्णय दिनांक 13.08.2007 को किया जा चुका था, जिसका नामांतरकरण संख्या 770 दिनांक 14.02.2008 दर्ज होकर रिकॉर्ड संधारित हुआ है। इस प्रकार अपील प्रस्तुति की तिथि को नामांतरकरण संख्या 575 का प्रभाव रिकॉर्ड पर विधमान ही नही थां इस प्रकार नियमानुसार प्रचलित डीएलसी दर की 20 प्रतिशत राशि एवं जिला कलक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना पूर्व की प्रविष्टि अर्थात खातेदारी के निर्णयदिनांक 07.01.2025 विधि विरूद्ध व अधिकारिता क्षेत्र के बाहर होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 07.01.2025 को निरस्त फरमाया जावे व अन्य अनुतोष जो उपर्युक्त अपील में न्यायहित में आवश्यक है के संबंध में आदेश जारी करे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि वादगत भूमि वाके रोही कानासर के खसरा नंबर 332/1 तादादी 30 बीघा बारानी का उपनिवेशन क्षेत्र की अधिसूचना दिनांक 21.01.1959 के पश्चात रेस्पोडेन्ट का सवंत 2023 में टीसी आवंटन किया गया जिसका लगातार संवत् 2047 तक नवीनीकरण होता रहा। तत्पश्चात राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 09.07.1987 एवं 11.05.1988 से ग्राम कानासर को उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर कर दिया गया, तथा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.01.1989 एवं जिला कलक्टर बीकानेर के पत्र दिनांक 20.05.1989 व 02.06.1989 के निर्देशानुसार तत्कालीन सक्षम अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के आदेश दिनांक 11.08.1989 के द्वारा खातेदारी प्रदान कर दी गई जिसका नामांतरकरण संख्या 127 दिनांक 27.06.1992 को तत्कालीन सक्षम क्षेत्राधिकार प्राप्त अधिकारी सहायक भू–प्रबंध एवं भू–अभिलेख अधिकारी बीकानेर द्वारा स्वीकृत कर दिया गया, तत्पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेन्ट का नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में बदस्तूर चलता रहा। मौके पर रेस्पोडेन्ट अपनी

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

खातेदारी भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। तत्पश्चात ग्राम कानासर बारानी पुनः उपनिवेशन क्षेत्र में अधिसूचना दिनांक 02.05.1991 से अधिसूचित कर दिया गया जिसके प्रभाव से रेस्पोडेन्ट के उपरोक्त वर्णित वादगत भूमि पर राजस्व रिकॉर्ड में पुनः टीसी दर्ज कर दिया गया। कालांतर में कानासर बारानी को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 26.08.2016 के क्रम संख्या 193 पर दर्ज कर उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर कर दिया। उपरोक्त परिस्थितयों में जब वादगत भूमि पर उपनिवेशन क्षेत्र में जाने के दौरान चकबंदी की कोई कार्यवाही की ही नही गई तो जैसे ही उपनिवेशन क्षेत्र से रकबे को डीनोटिफाईड किये जाने के प्रभाव से पूर्व की स्थिति यानि अधिसूचना दिनांक 02.05.1991 से पूर्व वादगत भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे जिस श्रेणी में दर्ज थी, पुनः उसी श्रेणी में दर्ज होनी थी। अर्थात उपनिवेशन क्षेत्र में आने के पश्चात आदेश दिनांक 15.06.2007 जिससे नामांतकरण संख्या 575 दर्ज कर भूमि को टीसी आवंटन दर्ज किया था इकतरफा एवं गैरकानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य था। रेस्पोडेन्ट उपनिवेशन क्षेत्र में रहने के दोरान टीसी आवंटन किया गया जो 1988 में डीकॉलोनाईज होने पर राजस्व अधिकारी द्वारा नियमानुसार व राज्य सरकार के निर्देशानुसार खातेदार अधिकार प्रदान कर दिये गये तत्पश्चात पुनः उपनिवेशन क्षेत्र में दिये जाने व किसी प्रकार की कार्यवाही किये बिना ही पुनः डीकॉलोनईज कर दिये जाने पर नियमानुसार पूर्व की स्थिति ही बहाल होनी है। अपीलांट ने इस दौरान भूमि के नगरीय क्षेत्र की सीमा में अधिसूचित हो जाने के कारण अधिसूचना दिनांक 29.08.2007 के आधार पर राशि जमा न होना मानकर आदेश को विधि विरूद्ध माना है जो कतई आधारहीन है। उक्त अधिसूचना ऐसे मामलों पर लागू होती है जहां खातेदारी अधिकार अधिसूचना की दिनांक तक जारी न हुए हो। रेस्पोडेंट का प्रकरण अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत आधारों से भिन्न आधार का होने से अपील आधारहीन एवं निरस्त किये जाने योग्य है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट को प्रदान किये गये खातेदारी अधिकार दिनांक 11.08.1989 के संबंध में अपना कोई मत व्यक्त नही किया है ना ही संपूर्ण में वादगत भूमि को पुनः राजस्व क्षेत्र में अधिसूचित किये जाने के संबंध मे ही कोई विधिक स्थिति की विवेचना ही की है। उक्त प्रकरण की परिस्थितियों से स्पष्ट है कि उपनिवेशन क्षेत्र घोषित होने से पूर्व खातेदारी अधिकार प्राप्त काश्तकार के राजस्व रिकॉर्ड के इंद्राज उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर घोषित होने के पश्चात पुनः स्थापित हो जाऐगें। ऐसी स्थिति में नगरिय क्षेत्र की पैरीफेरी सीमा की अधिसूचना में ग्राम कानासर के आ जाने से रेस्पोडेंन्ट के खातेदारी अधिकारों पर किसी प्रकार का विपरित प्रभाव नही पडेगा, ना ही नगरीय क्षेत्र में शामिल भूमियों की खातेदारी के संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 29.08.2007 का

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रभाव ही रेस्पोडेन्ट के खातेदारी पर पडेगा। इस प्रकार रेस्पोंडेन्ट से किसी प्रकार की कोई वसूली नही की जानी थी, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील पूर्णतः विधिसम्मत होने से पुष्टि योग्य है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील की पुष्ठि फरमावें।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। उक्त वादगत भूमि रोही कानासर के खसरा नंबर 332/1 तादादी 30 बीघा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 11.08.1989 के खातेदारी आदेश की पालना में इंतकाल संख्या 127 दिनांक 27.06.1992 स्वीकृत किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर खातेदार अंकित किया गया। तत्पश्चात उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत 1 ने इंतकाल संख्या 575 दिनांक 15.06.2007 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर खातेदार से टी.सी आवंटी का इंतकाल स्वीकृत कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 07.01.2025 में अंकित किया है कि उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत 1 ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के आदेश दिनांक 11.08.1989 की पालना में दर्ज इंतकाल संख्या 127 दिनांक 27.06.1989 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में टी.सी का इंतकाल स्वीकृत किया गया। जो न्यायोचित नही है। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2025 तथ्यों की गहनता से जांच कर पारित किया गया है। हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझतें है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2025 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 04.03.2026 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर